

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीन: चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या- 268/2010

1. श्रीमती वती देवी उम्र करीब 45 वर्ष पत्नी स्व. श्री राम सिंह,
 2. नरेन्द्र उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र स्व. राम सिंह,
 3. राहुल कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र स्व. श्री राम सिंह,
 4. कु. अर्चना कुशवाहा उम्र 19 वर्ष पुत्री स्व. श्री राम सिंह
- समस्त निवासीगण ग्राम पाडरी थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी हाल निवासी मकान नं. 454/2 बड़ागाँव गेट बाहर तलैया डडियापुरा झाँसी जिला झाँसी

-----याचीगण

बनाम

1. श्री समयदीन पुत्र साहबदीन निवासी ग्राम मानकी पोस्ट चौमा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान,

.....मालिक/चालक ट्रक सं. RJ 02GB 3218

2. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. अलवर जरिये मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि. सिविल लाईन कचहरी चौराहा के पास झाँसी

..... बीमा कम्पनी ट्रक सं. RJ 02GB 3218

-----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री इन्द्रपाल सिंह एडवोकेट

विपक्षी सं. 1 के अधिवक्ता- एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित

विपक्षी सं. 2 के अधिवक्ता- श्री वी. के. मिश्रा एडवोकेट

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा- 166 व 140 के अन्तर्गत ₹ 35,00,000 क्षतिपूर्ति मय देय कानूनी ब्याज 18% वार्षिक हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनांक 21.06.2018 को समय लगभग 6:30 बजे शाम याचीगण के पति व पिता राम सिंह मोटर साईकिल नं. UP 93A 6313 से पीछे बैठकर पाडरी से झाँसी बड़ागाँव गेट बाहर तलैया पर आ रहा था। मोटर साईकिल को बृजमोहन धीमी गति से अपनी साईड से चलाता हुआ आ रहा था। जैसे ही वह मुस्तरा स्टेशन हाई-वे चौराहा ग्रीन होम सिटी के पास पहुँचा तो बृजमोहन ने मोटर साईकिल को सड़क किनारे नीचे बन्द कर खड़ी कर दी और बाथरूम करने चला गया व राम सिंह मोटर साईकिल के पास खड़े थे तभी ग्वालियर रोड से एक ट्रक नं. RJ 02GB 3218 जिसका चालक उक्त ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये चलाता हुआ आया और सड़क किनारे खड़े राम सिंह व मोटर साईकिल में टक्कर मारकर घसीटता हुआ आगे ले गया। बृजमोहन के चिल्लाने पर ट्रक ड्राईवर ट्रक को छोड़कर मौके से भाग गया। उक्त घटना को मौके पर उपस्थित लोगों ने व बृजमोहन ने देखा और सहायता की व इलाज के लिये मेडिकल कॉलेज झाँसी ले गये जहाँ डॉक्टरों ने जाँच कर राम सिंह को मृत घोषित कर दिया। घटना के समय राम सिंह की उम्र 49 वर्ष थी और वह शरीर से हृष्ट-पुष्ट एवं मेहनती थे तथा स्वयं की खेती में सब्जी की खेती का कार्य करके 20,000/- रु. प्रतिमाह कमा लेते थे जिससे परिवार का भरण-पोषण होता था। घटना में असमय मृत्यु हो जाने से याचीगण का जीवन अंधकारमय हो गया है। दुर्घटना की रिपोर्ट बृजमोहन ने दिनांक 21.06.2018 को ही थाना नवाबाद, झाँसी में ट्रक चालक के खिलाफ दर्ज करायी।

3. विपक्षी सं. 1 समयदीन प्रश्नगत ट्रक नं. RJ 02GB 3218 के पंजीकृत स्वामी व चालक की ओर से पर्याप्त तामीला के बावजूद जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया और न ही वे उपस्थित आये अतः न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.02.2019 के अनुसार विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध याचिका में एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी है।

4. विपक्षी सं. 2 न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से 14 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है कि

कथित दुर्घटना के समय पर विपक्षी वाहन स्वामी के पास ट्रक नं. RJ 02GB 3218 के बाबत कोई वैध पंजीयन प्रमाणपत्र, परमिट, फिटनेस, आदि कागजात एवं चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरुद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था इस कारण विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 13.03.2019 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं:-

1. क्या दिनांक 12.06.2018 को समय करीब 6:30 बजे शाम जब मृतक राम सिंह कुशवाहा बृजमोहन के साथ मोटर साइकिल नं. UP 93A 6313 के पीछे बैठकर पाडरी से झाँसी बड़ागाँव गेट बाहर तलैया पर आ रहा था तब मुस्तरा स्टेशन हाई-वे चौराहा ग्रीन होम सिटी के पास बृजमोहन ने मोटर साइकिल को सड़क किनारे बन्द कर खड़ी कर दी और बाथरूम करने चला गया व राम सिंह मोटर साइकिल के पास खड़ा था तभी ग्वालियर रोड से ट्रक नं. RJ 02GB 3218 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये राम सिंह व मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जिससे राम सिंह को गम्भीर चोटें आयीं और उक्त दुर्घटना में आयीं चोटों के फलस्वरूप मृतक राम सिंह कुशवाहा की मृत्यु हो गयी?

2. क्या दुर्घटना की दिनांक व समय पर प्रश्नगत ट्रक नं. आर.जे. 02 जी.बी. 3218 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स था?

3. क्या दुर्घटना की दिनांक व समय पर प्रश्नगत ट्रक नं. RJ 02GB 3218 विपक्षी सं. 2 दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कं. लि. से बीमित था?

4. क्या याचीगण कोई प्रतिकर राशि पाने के अधिकारी हैं? यदि हाँ, तो कितनी व किस विपक्षी से?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:-

याचीगण की ओर से-

अभिलेखीय साक्ष्य-

1. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 7 सी1 से 8 सी1/1 लगायत 11 सी1/4 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

2. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 21 सी1 से 22 सी1 लगायत 24 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें व्हीकेल पार्टिक्युलरर्स, अथोराइजेशन प्रमाणपत्र व एक्स्ट्रेक्ट आफ ड्राइविंग लाइसेन्स की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

3. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 25 सी1 से 26 सी1 लगायत 31 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचनाएँ, प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोपपत्र, नक्शा नजरी की प्रमाणित प्रतियाँ शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य-

पी.डब्लू. 1 याची श्रीमती वती देवी तथा पी.डब्लू. 2 चक्षुदर्शी बृजमोहन

विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से-

4. विपक्षीगण की ओर से कोई अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

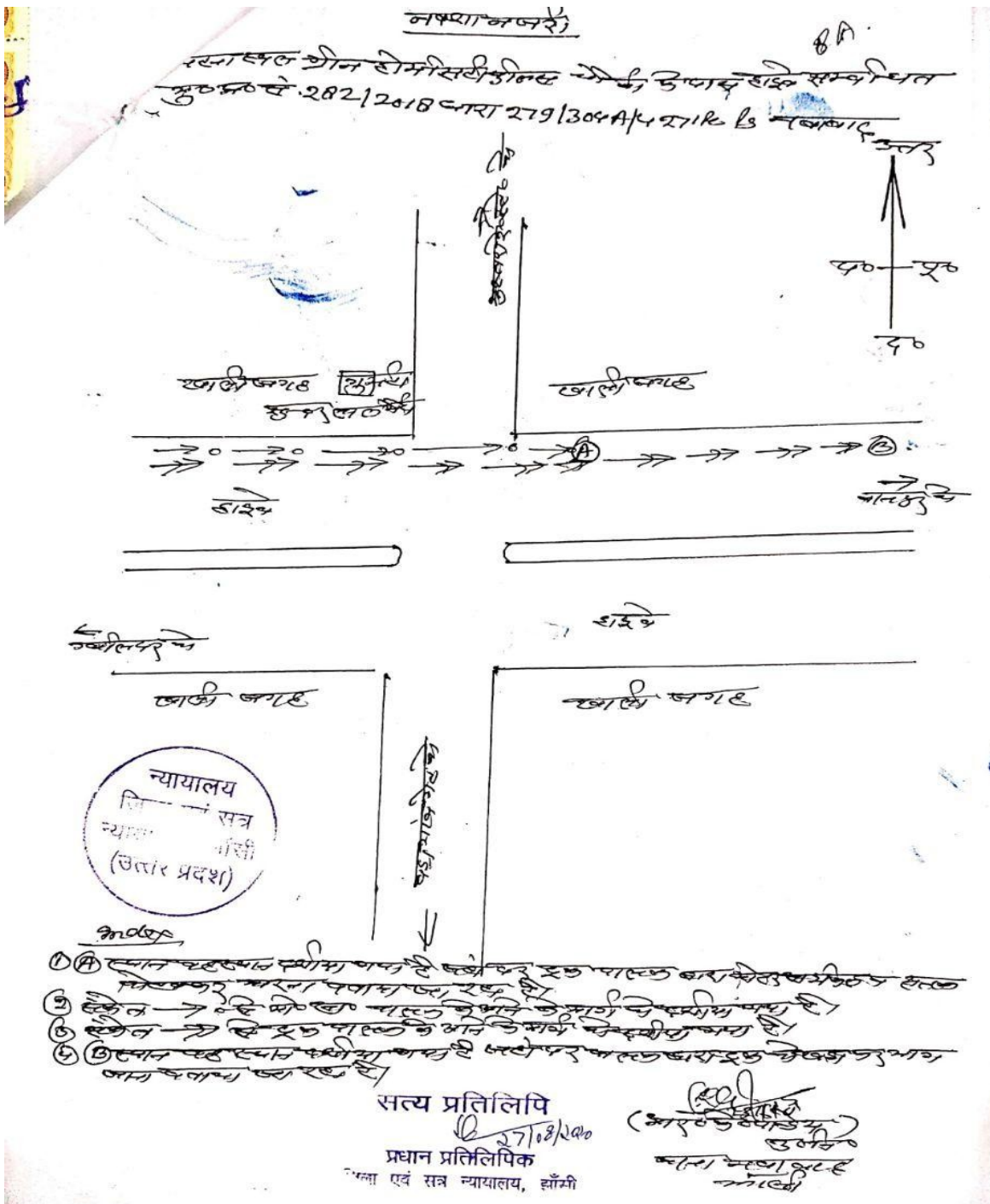
7. मैंने वर्चुअल कोर्ट में उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1

वाद बिन्दु सं. 1 को साबित करने के लिये याचीगण की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपपत्र की प्रमाणित प्रति व पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की छाया प्रति दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 के रूप में याचिया सं.1 श्रीमती वती स्वयं एवं पी.डब्लू. 2 कथित स्वतन्त्र साक्षी पी.डब्लू. 2 बृजमोहन को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का विस्तृत विवरण देते हुये कथन किया है कि राम सिंह मेरे पति थे। यह चक्षुदर्शी नहीं है अतः वाद बिंदु संख्या 1 के

निस्तारण में इस साक्षी के साथ का कोई महत्त्व नहीं है। पी.डब्लू. 2 बृजमोहन को चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 21.06.2018 को समय करीब 6:30 बजे शाम की घटना है। वह मोटर साईकिल नम्बर UP 93A 6313 से पाड़री से झाँसी आ रहा था। पीछे मोटर साईकिल पर राम सिंह बैठे थे। जैसे ही वह मुस्तारा रेलवे स्टेशन हाई-वे चौराहा ग्रीन होम सिटी के पास पहुँचा तो उसने मोटर साईकिल को सड़क किनारे बन्द करके खड़ा कर दिया और बाथरूम करने चला गया। राम सिंह मोटर साईकिल के पास खड़े थे। जैसे ही वह बाथरूम करके लौटा तो उसने देखा कि ग्वालियर की तरफ से एक ट्रक नम्बर RJ 02GB 3218 जिसका चालक उक्त ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और सड़क किनारे खड़े राम सिंह व मोटर साईकिल में टक्कर मारकर घसीटता हुआ आगे को ले गया। वह चिल्लाया तो मौके पर और भी लोग आ गये। ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर भाग गया। मौके पर उपस्थित लोगों की मदद से राम सिंह को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज, झाँसी ले गये जहाँ डॉक्टरों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना ट्रक चालक की तेजी व लापरवाही के कारण से हुई। उसने उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट 21.06.2018 को थाना नवाबाद, झाँसी में ट्रक चालक के विरुद्ध दर्ज कराई थी। टक्कर मारने वाले वाहन का नंबर सदैव याद रखा जाता है यदि परीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जिस टैक्सी से घायल को अस्पताल ले जाया गया उस टैक्सी का नंबर याद नहीं है तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। याची गण के घर आने जाने से या भतीजा होने से भी इस साक्षी की विश्वसनीयता समाप्त नहीं हो जाती। यह साक्षी आरोपपत्र का साक्षी है। पी. डब्लू. 2 की प्रति परीक्षा में कोई ऐसा कोई तात्त्विक तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे की इस साक्षी की साक्ष्य की सत्यता पर संदेह किया जा सके। बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में कोई अन्वेषक आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है जो यह बताए कि दुर्घटना नहीं हुयी है या अन्य प्रकार से हुई है या किसी अन्य वाहन से हुई है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में पी.डब्लू. 2 बृजमोहन की उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दुर्घटना की रिपोर्ट दिनांक 21.06.2018 को ही उसने ट्रक के चालक के विरुद्ध दर्ज करा दी थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 30 सी1 के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21.06.2018 समय 6:30 बजे की दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन 2:28 बजे ट्रक चालक ट्रक सं. RJ 02GB 3218 के विरुद्ध अंकित की गयी है तथा पत्रावली पर दाखिल आरोपपत्र की प्रमाणित प्रति 29 सी1 के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक ने प्रस्तुत प्रकरण में बाद सम्पन्न करने विवेचना प्रश्रुत ट्रक सं. RJ 02GB 3218 के चालक समयदीन विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध ही आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 279, 304A, 427 भा.दं.सं. दाखिल किया है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में समय से प्रथम सूचना अंकित करायी गयी है। 9 सी1 पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की छाया प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि मृतक राम सिंह का पोस्ट मॉर्टम चिकित्सक द्वारा दिनांक 22.06.2018 को किया गया जिसमें वर्णित चोटें एक दिन पूर्व की होना बताया है तथा मृत्यु का कारण वर्णित एन्टीमॉर्टम इंजरी के कारण शॉक एवं हमरेज से होना दर्शाया है। विधि व्यवस्था [Archit Saini vs Oriental Insurance Company Ltd. And Ors. \(09.02.2018-S.C.\): MANU/SC/0105/2018](#) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक आपराधिक मुकदमें में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिये संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।



उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनांक 12.06.2018 को समय करीब 6:30 बजे शाम जब मृतक राम सिंह कुशवाहा बृजमोहन के साथ मोटर साइकिल नं. UP 93A 6313 के पीछे बैठकर पाडरी से झाँसी बड़ागाँव गेट बाहर तलैया पर आ रहा था तब मुस्तरा स्टेशन हाई-वे चौराहा ग्रीन होम सिटी के पास बृजमोहन ने मोटर साइकिल को सड़क किनारे बन्द कर खड़ी कर दी और बाथरूम करने चले गये व राम सिंह मोटर साइकिल के पास खड़ा था तभी ग्वालियर रोड से ट्रक नं. RJ 02GB 3218 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये राम सिंह व मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जिससे राम सिंह को गम्भीर चोटें आयीं और उक्त दुर्घटना में आयीं चोटों के फलस्वरूप मृतक राम सिंह कुशवाहा की मृत्यु हो गयी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 1 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

10. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रपत्र सं. 24 सी1 विपक्षी सं.1 समयदीन के चालक लाइसेन्स के एकस्ट्रेक्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेन्स की छाया प्रति दाखिल की गयी है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि चालक समयदीन के पास दिनांक-23.09.2016 से 23.09.2019 तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स था। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। घटना दिनांक 21.06.2018 की है। आरोपपत्र चालक समयदीन के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना की दिनांक व समय पर

प्रश्नगत ट्रक नं. RJ 02GB 3218 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स था। अतः वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रपत्र सं. 10 सी1 प्रश्नगत ट्रक सं. RJ 02GB 3218 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत ट्रक का बीमा दिनांक 20.05.2018 से 19.05.2019 तक वैध एवं प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खंडन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त याचीगण की ओर से प्रपत्र सं. 22 सी1 प्रश्नगत ट्रक की व्हीकेल पार्टिक्युलरर्स व 23 सी1 अॅथोराइजेशन प्रमाणपत्र की छाया प्रतिया भी दाखिल की गयी हैं, जिनका खण्डन भी विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। घटना दिनांक 21.06.2018 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना की दिनांक व समय पर प्रश्नगत ट्रक नं. RJ 02GB 3218 विपक्षी सं. 2 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. से बीमित था। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4

वाद बिन्दु सं. 1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनांक 12.06.2018 को समय करीब 6:30 बजे शाम जब मृतक राम सिंह कुशवाहा बृजमोहन के साथ मोटर साइकिल नं. UP 93A 6313 के पीछे बैठकर पाडरी से झाँसी बड़ागाँव गेट बाहर तलैया पर आ रहा था तब मुस्तरा स्टेशन हाई-वे चौराहा ग्रीन होम सिटी के पास बृजमोहन ने मोटर साइकिल को सड़क किनारे बन्द कर खड़ी कर दी और बाथरूम करने चला गया व राम सिंह मोटर साइकिल के पास खड़ा था तभी ग्वालियर रोड से ट्रक नं. RJ 02GB 3218 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये राम सिंह व मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जिससे राम सिंह को गम्भीर चोटें आयीं और उक्त दुर्घटना में आयीं चोटों के फलस्वरूप मृतक राम सिंह कुशवाहा की मृत्यु हो गयी। अब प्रश्न यह है कि याचीगण किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी है? चूंकि वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 2 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

13. क्षतिपूर्ति की गणना-

पी.डब्लू. 1 जो कि हितबद्ध साक्षी है ने मृतक की आय स्वयं के खेत में सब्जी की खेती करने से प्रतिमाह ₹ 20,000 बताई है किंतु इस संबंध में पी.डब्लू. 2 स्वतन्त्र साक्षी ने मृतक की आय के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दी है और न ही याचीगण द्वारा मृतक की आय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था [Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. \(25.03.2008 - SC\)](#) : MANU/SC/7368/2008 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹ 100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था [Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. \(01.08.2018 - ALLHC\)](#) : MANU/UP/2954/2018 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200/- प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितियों पर आधारित होता है। माह में औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार मृतक की कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165 /- निर्धारित की जाती है।

14. पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 49 वर्ष बतायी है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की आयु 50 वर्ष अंकित है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयु का निश्चयक सबूत नहीं होती है। चूंकि पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 49 वर्ष बताई है जिसका खंडन नहीं हो सका है अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं कि मृतक की आयु 49 वर्ष थी। विधि व्यवस्था [National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. \(31.10.2017 - SC\)](#) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 13 का गुणक, प्रयोज्य है। 40 - 50 वर्ष आयु वर्ग के लिए 25 % भविष्य में प्रत्याशा की वृद्धि, 4 व्यक्तियों के परिवार में स्वयं के खर्च पर 1/4 भाग की कटौती, याची के इकलौते पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत संपदा की क्षति

के लिए ₹ 15,000/- , दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000/- तथा वैवाहिक सहचर्य की हानि के लिए ₹ 40,000 निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय = आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य पर्याशा (पस्तिशत में)			25	14850
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	18562.5
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				55687.5
गुणक			13	723937.5
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	763937.5
संपदा की क्षति			15000	778937.5
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	793937.5
कुल क्षतिपूर्ति				793937.5

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 7,93,938 होती है। विधि व्यवस्था [National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. \(23.04.2019 - SC\)](#) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक में 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था [Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. \(17.12.2009 - SC\)](#) : MANU/SC/1949/2009 व [M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. \(05.03.2019 - SC\)](#) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक में क्षतिपूर्ति धनराशि की त्रिवर्षीय सावधि जमा से त्रैमासिक ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 4 निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 7,93,938/- (सात लाख तिरानवे हजार नौ सौ अड़तीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 2 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनांक से 45 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की उक्त धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. 92352010008560 IFSC-SYNB0009235 में RTGS/NEFT के माध्यम से कर दें। क्षतिपूर्ति धनराशि में से याचीगण बराबर बराबर भाग प्राप्त करेंगे तथा उनके भाग की धनराशि का 75% भाग किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकतम ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए निर्योजित किया जाएगा जिसका मासिक ब्याज वह प्राप्त करते रहेंगे तथा यह सावधि जमा न तो बंधक की जा सकेगी और ना ही इस पर ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। शेष 25% भाग वे अपने खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड से स्थानांतरित किए जाने पर प्राप्त करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि को इलेक्ट्रॉनिक मोड से स्थानांतरित करते समय याचिका संख्या का संदर्भ अवश्य दिया जाए तथा ट्रांजैक्शन नंबर, याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना इस न्यायाधिकरण को po@mactjhansi.in व chandrodyaik121968@up.gov.in ई-मेल के माध्यम से न्यायाधिकरण को भेजी जाए।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनांक 28.08.2020

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 28.08.2020

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण झाँसी